भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1945

उत्तर देने की तारीख-19/12/2022

नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना

†1945. श्री संजय काका पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छात्रों के लिए रोजगार सृजन के साथ- साथ भारतीय संस्कृति, शैक्षिक परंपरा और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) बढ़ते शिक्षा क्षेत्र में निजी स्कूलों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अच्छी शिक्षा का लाभ उठाने के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैन्य कर्मियों-, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आईएचएल) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (पीएसयू) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित हो सकते हैं, जिनमें मानकों के अनुसार नए

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्दता हो। ये प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव/अनुरोध केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए हैं। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ सुदुम्बरे (पश्चिमी महाराष्ट्र) में एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) केविसं ने अपने छात्रों के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, शैक्षिक परंपरा और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं;

(i) एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, भाषा संगम के तहत गतिविधियां।
(ii) राम कृष्ण मिशन के सहयोग से जागृत नागरिक कार्यक्रम।
(iii) छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ाई जा रही पूर्व-व्यावसायिक कौशल शिक्षा।
(iv) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम नौवीं और दसवीं कक्षा में वैकल्पिक कौशल विषय के रूप में पढाए जाते हैं।

(घ) केंद्र सरकार के स्कूल अर्थात् केवि और जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। केवि और जनवि लगातार उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के औसत परिणाम से अधिक हैं। सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में केवि और जेएनवि के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सीबीएसई से संबद्ध अन्य निजी स्कूलों के परिणामों की तुलना में काफी बेहतर है।

(ङ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधान के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त सरकार हैं। आरटीई अधिनियम, 2009, उपयुक्त सरकार को पड़ोस के स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश देता है। आरटीई अधिनियम पूरे देश में लागू है।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) में धारा 2 के खंड (एन) के उप-खंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट स्कूलों में, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा I (या नीचे) में उस कक्षा की संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को वंचित समूहों और कमजोर वर्गों को प्रति बच्चे लागत अधिसूचित करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश शुरू करने और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। धारा 12(1)(सी) के तहत, केंद्र सरकार 2014-15 से बच्चों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों को किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को सहायता कर रही है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं और अधिगम प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

इस योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को निशुल्क वर्दी और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल है। इसके अलावा, स्कूल से बाहर बच्चों के लिए आयु उपयुक्त प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैरआवासीय प्रशिक्षण-, स्कूल से बाहर बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए मौसमी छात्रावासों /आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, परिवहन/एस्कोर्ट सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायता और उपकरण, ब्रेल

किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2021-22 से, 16-19 आयु वर्ग के स्कूल से बाहर के बच्चे, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों से संबंध रखते हैं, उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता हेतु पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से 2000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

*****